FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी ,उच्चैन (भरतपुर)

मयंक वगै0 बनाम विमलेश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र **212 आर.टी.ए.** नं0.......22.......सन् 2025

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.05.2025	प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजि0 हो। प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 को सुना गया। वक्त दौराने सुनवाई प्रार्थी/प्रार्थीगण के अभि0 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी/प्राथीगण के अभि0 के तर्कों पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/प्रार्थीगण के हक में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा आगामी तारीख पेशी तक इस अम्र की जारी कर पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 112/236/0.65, 115/1.78, 139/0.96 है0 बांके ग्राम रूंध खरका तहसील उच्चैन में रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो नियत दिनांक 30.06.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें। आदेश 39 नियम 3(ए)(1)(2)(3) व 3(ब) की पालना प्रार्थी द्वारा की जावे। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी हेतू 7 दिवस के अन्दर रजिस्टर्ड तलवाना पेश करें अन्यथा जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिर्स्टड नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 30.06.2025 को पेश [signature] उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
30/06/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 05/08/2025 को पेश हो।	
30/7/25	आज यह पत्रावली प्रार्थीगण के प्रा० पत्र पर पेश हुई। उक्त प्रा० पत्र से संबंधित मुक० वाद को प्रार्थीगण के प्रा० पत्र पर [illegible]	अर्चना जंगा

किये जाने की अनुमति दी जा
चुकी है। ऐसी स्थिति में उक्त
प्र० पत्र का कोई औचित्य
नहीं है/रहा। उक्त प्रकरण में
की जा रही कार्यवाही इसी
स्तर पर ड्रॉप की जाती है।
पत्रावली मिसल शुमार हो नम्बर
से खारिज होकर अभिलेख उपलब्ध हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)